राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

I

पत्र संख्या–पं0नि0 30–34/20245 2633

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
पूर्वी चम्पारण।

पटना, दिनांक– 20.6.24

विषयः– प्रखण्ड हरसिद्धि ग्राम पंचायत बैरियाडीह के उप मुखिया के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 151 दिनांक 20.04.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा **प्रखण्ड हरसिद्धि ग्राम पंचायत बैरियाडीह के उप मुखिया** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु आयोग को प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिनके समीक्षोपरान्त पाया गया कि –

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18(4) (II) तथा बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 के नियम 06 के प्रावधान के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी सूचना तीन दिन पूर्व सभी निर्वाचित सदस्यों को दिया जाना है, जबकि **प्रखण्ड हरसिद्धि ग्राम पंचायत बैरियाडीह के उप मुखिया** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी बैठक की सूचना 19 सदस्यों में 01 सदस्य का अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी तामिला कराया जाना प्रतिवेदित नहीं है, और वह सदस्य बैठक में उपस्थित भी नहीं हैं। जो नियमानुकूल नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक पत्र के आलोक प्रखण्ड हरसिद्धि ग्राम पंचायत बैरियाडीह **के उप मुखिया के रिक्त पद पर वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के कारण तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है परंतु आयोग विशेष बैठक की प्रक्रिया के संबंध में तटस्थता एंव अहस्तक्षेप का अभिमत रखता है।**

अनुरोध है कि उक्त आलोक में अग्रेतर कारवाई हेतु पंचायती राज विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त की जाय।

विश्वासभाजन
20/6/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

15.6.24

ne Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847, E-mail: secbihar@gmail.com secbihar@gmail.com